25/11/24 पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी

अधि० / अभिभाषक के कथन एवं प्रार्थी ने

निवेदन किया कि न्यायालय के निर्णय

व डिक्री मिति 12/8/2024 की पालना

हो चुकी है। उसी निर्णय में अब इस प्रकरण

में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है

अतः प्रार्थना पत्र इस प्रकार खारिज किया

जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर

बाद अमल आवश्यक दुरुस्ती हो। निर्णय

अद्य मिति 25/11/24 को खुले न्यायालय

में सुनाया जाता।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner